Not to be filled by the Candidate
(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Total Pages - 52

| | |
|---|---|
| Time : 3 Hours<br>समय : तीन घंटे | Maximum Marks : 100<br>पूर्णांक : 100 |

## महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लैप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा किसी भी प्रश्न के उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य इत्यादि लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा छलपूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं की अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्न पत्र 'अ' और 'ब' दो भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में से किये जाने वाले प्रश्नों की संख्या और उनके अंक उस भाग में अंकित किये गये हैं।
5. भाग 'अ' में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा प्रत्येक के चार उत्तर विकल्प दिये गये हैं। अभ्यर्थी विकल्पों के सामने बने खानों में से सही उत्तर के सामने बने खाने में सही का चिन्ह ✓ लगाकर स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें, किसी अन्य स्थान पर नहीं। प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर दिया जाना है, एक से अधिक उत्तर दिये जाने की दशा में उत्तर गलत माना जायेगा।
6. भाग 'ब' में दिये गये प्रश्नों के उत्तर "प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी अपने उत्तर निर्धारित जगह से अधिक में नहीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
8. उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा में दीजिये, दोनों में नहीं। फ्लैप पर उत्तर के माध्यम के खाने में उसी भाषा के विकल्प को चिन्हित करें।
9. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
10. यदि प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका कहीं से कटी फटी या अमुद्रित है तो अविलम्ब वीक्षक के ध्यान में लाकर उसे बदलवा लें अन्यथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
11. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case the candidature of the candidate shall be rejected for the entire examination.
3. If a candidate is found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The question paper is divided into two parts, A and B. The number of questions to be attempted and their marks are indicated in that part.
5. There are Twenty (20) objective type questions in Part 'A' of the "Question Paper-cum-Answer Book", each having four (4) alternative options. Candidate should clearly indicate the correct answer of objective type question by marking sign of correct ✓ in the box of right answer option amongst the boxes provided for against each option and not elsewhere. Only one answer is to be indicated for each question. Marking of more than one answer would be treated as wrong answer.
6. The answers of the questions in the Part 'B' should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
7. Candidates do not write the answers beyond the space prescribed. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
8. Attempt answers either in Hindi or in English, not in both. Specify an option by ticking that language in box of medium of answer on the flap.
9. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
10. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
11. Possession of any electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

## Part-A / भाग–अ
## Objective / वस्तुनिष्ठ

**Note:- Attempt all the 20 Questions. Each question carries 1 mark. (Total Marks for this Part are 20)**

नोटः– समस्त 20 प्रश्नों का उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। (इस भाग हेतु कुल अंक 20 हैं)

### Question No.1

That 'A', in good faith for the benefit of his child but without his consent, knowing it fully well that death of the child might be caused, if he was subjected to surgery and got him operated upon by a surgeon with intention of getting the stone removed but the child died. The act of 'A' is:-

(A) a cognizable offence because 'A' has not taken required precautions before the surgery. ☐

(B) punishable under law, if negligence of 'A' is proved. ☐

(C) is not an offence because 'A' did so in good faith for the benefit of the child so that he was cured of the disease and therefore his act being covered by the general exception under Section 89 of the Indian Penal Code is protected from any criminal law. ☐

(D) is not an offence because he did so in good faith for the benefit of the child without his consent and therefore is protected by Section 92 of the Indian Penal Code. ☐

**प्रश्न संख्या 1**

यह कि 'क', सद्भावनापूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिये अपने शिशु की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि यदि उसकी शल्यक्रिया की जाती है तो उसकी मृत्यु कारित हो सकती है, पथरी निकलवाने के आशय से शल्यक्रिया करवाता है, किन्तु शिशु की मृत्य हो जाती है । 'क' का कृत्यः–

(अ) संज्ञेय अपराध है, क्योंकि शल्य क्रिया से पूर्व 'क' ने अपेक्षित पूर्व सावधानियां नहीं बरतीं। ☐

(ब) विधितः दण्डनीय है, यदि 'क' की लापरवाही प्रमाणित होती है । ☐

(स) अपराध नहीं है, क्योंकि 'क' ने ऐसा सद्भावनापूर्वक शिशु के हितार्थ, उसको रोगमुक्त होने हेतु किया है अतः उसका कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत सामान्य अपवाद में होने से किसी भी आपराधिक कार्यवाही से संरक्षित है । ☐

(द) अपराध नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा सद्भावनापूर्वक शिशु के हितार्थ बिना उसकी सहमति के किया है अतः वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत संरक्षित है । ☐

### Question No.2

For how much period an accused, convicted of non-cognizable offence on the basis of complaint, can be sentenced to suffer simple imprisonment for his failure to pay to the complainant the cost incurred by him in prosecution:-

(A) not exceeding 60 days. ☐

(B) not exceeding 30 days. ☐

(C) not exceeding 15 days. ☐

(D) any other punishment prescribed by law but not exceeding to original punishment. ☐

**प्रश्न संख्या 2**

परिवाद पर संस्थित किसी असंज्ञेय अपराध के दोषसिद्ध अभियुक्त को, परिवादी द्वारा अभियोजन में वहन किए गए खर्चे की अदायगी में असफल रहने पर, कितनी अवधि हेतु साधारण कारावास से दण्डित किया जा सकता है :–

(अ) 60 दिवस से अनधिक अवधि का । ☐

(ब) 30 दिवस से अनधिक अवधि का । ☐

(स) 15 दिवस से अनधिक अवधि का । ☐

(द) विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश, किंतु मूल सजा से अधिक नहीं। ☐

**Question No.3**

Which of the following statements under Section 436-A of Code of Criminal Procedure, 1973, is correct for computation of the period of detention undergone by the accused at the time of his release with or without sureties:-

(A) the period of police custody shall be excluded. ☐

(B) the period of judicial custody during investigation shall be excluded. ☐

(C) computation of the period of detention shall be dependent on the discretion of the court. ☐

(D) the period of delay caused by the accused in completion of the trial shall be excluded from the period of his detention. ☐

**प्रश्न संख्या 3**

धारा 436–क दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत किसी अभियुक्त को प्रतिभुओं सहित या रहित व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़े जाने के समय निरूद्ध अवधि की गणना करने के संबंध में कौनसा कथन सही है:–

(अ) पुलिस अभिरक्षा की अवधि को अपवर्जित किया जायेगा । ☐

(ब) अन्वेषण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने की अवधि को अपवर्जित किया जायेगा। ☐

(स) निरूद्ध अवधि की गणना न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर होगी । ☐

(द) अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में किये गये विलंब के कारण भोगी गयी निरोध की अवधि को अपवर्जित किया जायेगा । ☐

**Question No.4**

Which of the following statements is not correct:-

(A) an admission may be proved by or on behalf of the person making it, when it is of such a nature that, if the person making it were dead, it would be relevant as between third person under Section 32. ☐

(B) an admission may be proved by or on behalf of the person making it, if it is relevant otherwise than as an admission. ☐

(C) an admission is relevant against the person who makes it. ☐

(D) an admission may not be proved by or on behalf of the person making it, when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body, relevant or

 ☐

in issue, made at or about the time when such state of mind or body existed, and is accompanied by conduct rendering it as falsehood and improbable.

**प्रश्न संख्या 4**

निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है:–

(अ) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी, जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता, तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होती। ☐

(ब) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी, यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किन्तु अन्यथा सुसंगत है। ☐

(स) स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध सुसंगत है। ☐

(द) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित नहीं की जा सकेगी जबकि वह मन की या शरीर की सुसंगत या विवाद्यक किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था, जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ हैं जो उसकी असत्यता को अनधिसंभाव्य कर देता है। ☐

**Question No.5**

'A', who is not a public servant, abets 'B', who is a public servant, to commit an offence under Section 11 of the Prevention of Corruption Act, 1988, but no offence is committed by 'B' pursuant to such abetment. Which of the following statements is correct according to the above Act:-

(A) 'A' cannot be convicted because he is not a public servant. ☐

(B) 'A' could be convicted, if 'B' had committed the offence for which he was abetted. ☐

(C) 'A' can be convicted for his act. ☐

(D) None of the above is correct. ☐

**प्रश्न संख्या 5**

'क', जो कि एक लोक सेवक नहीं है वह 'ख', जो कि एक लोकसेवक है, को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 की धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। किन्तु ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप 'ख' द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसार 'क' के उक्त कृत्य के संबंध में कौनसा कथन सही है:–

(अ) 'क' को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह लोक सेवक नहीं है। ☐

(ब) 'क' को दोषसिद्ध किया जा सकता था, यदि 'ख' के द्वारा वह अपराध कारित कर दिया गया होता जिसके लिये उसे दुष्प्रेरित किया गया था। ☐

(स) 'क' को उसके कृत्य के लिये दोषसिद्ध किया जा सकता है । ☐

(द) उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है। ☐

**Question No.6**

The act of a witness in refusing to sign his statement after his evidence is recorded in the court, causes offence under which Section of the Indian Penal Code, 1860:-

(A) 180 Indian Penal Code.

(B) 178 Indian Penal Code.

(C) 181 Indian Penal Code.

(D) The witness has not committed any offence. His act being of trifle nature, he cannot be proceeded against in view of Section 95 of the Indian Penal Code.

**प्रश्न संख्या 6**

न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के उपरांत, साक्षी द्वारा अपने कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने का कृत्य, भारतीय दण्ड संहिता की कौनसी धारा का अपराध कारित करता है:–

(अ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 180 का।

(ब) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 178 का।

(स) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 181 का।

(द) साक्षी ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसका कृत्य तुच्छ प्रकृति का होने से, भा.द.सं. की धारा 95 के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य नहीं है।

**Question No.7**

Which organ of the body is affected by asphyxia?

(A) stomach.

(B) liver.

(C) pancreas.

(D) windpipe.

**प्रश्न संख्या 7**

एसफिक्सिया (ASPHYXIA) मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?

(अ) पेट ।

(ब) यकृत ।

(स) अग्नाशय ।

(द) श्वांस नली ।

**Question No.8**

The accused, who is already convicted for offence punishable under Section 19 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, again commits an offence and is convicted, can be awarded penalty of death sentence under Section 31-A of the said Act on proof of the fact that he was found in possession of morphine in which of the following quantities:-